दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 2 नवम्बर, 1999 को सांय 4 बजे, दिल्ली जल बोर्ड के सभाकक्ष, वरूणालय फेज-2, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 में हुई 26 वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1.	श्री सुरेन्द्र कुमार, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	उपाध्यक्ष
2.	श्री प्रदीप मेहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
3.	श्री ब्रह्म सिंह तंवर, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	सदस्य
4.	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य
5.	श्री आर.सी. वर्मा, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य
6.	श्री छन्नू मल, सदस्य, दिल्ली छावनी परिषद	सदस्य
7.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	सदस्य

कार्यवृत्त की पुष्टि

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 9 अक्टूबर, 1999 को सम्पन्न हुई 25वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई । परन्तु यह स्पष्ट किया गया कि संकल्प संख्या 416 को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :-

"श्रीमती रोशनी बंसल ने सुझाव दिया कि उपस्थिति के लिए कोरम में 6 सदस्य होने चाहिए तथा बोर्ड की बैठक कम से कम महीने में एक बार होनी चाहिए । बोर्ड ने इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन हेतु प्राधिकृत किया" ।

संकल्प संख्या 432
मद संख्या 437 दिल्ली वाटर वर्क्स के लिए दो वर्षों के लिए अल्यूमिना फेरिक ग्रेड-2 (45,600 मीट्रीक टन) की खरीद ।

मुख्य अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/मुख्य अभि.(वि.एवं या.)/पी/99/01 दिनांक 6.10.99 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया गया कि 45,600 मिट्रिक टन एल्यूमिना फेरिक ग्रेड-2 की खरीद मै0 अमर एलम एण्ड एलाइड कैमिकल्स (प्रा0) लि0 कपासन, राजस्थान, मै0 पोखरामन एलम एण्ड कैमिकल्स (प्रा0) लि0 लखनऊ, उ0 प्र0 तथा मै0 स्काई इण्डस्ट्रीज बहादुर गढ़, हरियाणा से उनके द्वारा बातचीत के दौरान प्रस्तुत दरों पर करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने इस कार्य हेतु रू0 13,31,52,000/- के कुल व्यय को आगामी दो वर्षों में समायोजित करने के लिए भी प्राधिकृत किया । उत्पाद कर, बिक्री कर तथा डीजल के मूल्यों की दरों का संवैधानिक अन्तर देय होगा ।

संकल्प संख्या 433
मद संख्या 438 जल उपक्रम एवं मल व्ययन उपक्रम प्रयोगशालाओं का अप-ग्रेडशन ।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)वाटर वर्क्स के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/मुख्य अभि.(वि.एवं या.)वा0 व0/पी0/99/02 दिनांक 8.10.99 में वर्णित विभिन्न प्रयोगशालाओं के गुणवत्ता तथा परिमाणता के उच्चीकरण के लिए रू0 3,08,00,000/- के बजट प्रावधान को प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 434

मद संख्या 439 द्वारका में सी.टी.-1 के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम निर्मित क्षेत्र के लिए पानी की परिधिय मुख्य लाइन की व्यवस्था करना ।

मुख्य अभियंता (सी)-3 के पत्र क्रमांक मु.अभि.(सी)-3/99/01 दिनांक 7.10.99 में वर्णित कमांड टैंक सं.-1 के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम के निर्मित क्षेत्र में द्वारका क्षेत्र के स्वीकृत जल आपूर्ति योजना के अनुसार पेयजल की परिधिय वितरण मुख्य लाइनों की व्यवस्था, बिछाने और जोड़ने के कार्य के लिए रू0 2788 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 435

मद संख्या 440 द्वारका में सी.टी.-2 के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम निर्मित क्षेत्र के लिए पानी की परिधिय मुख्य लाइन की व्यवस्था करना ।

मुख्य अभियंता (सी)-3 के पत्र क्रमांक मु.अभि.(सी)-3/99/02 दिनांक 8.10.99 में वर्णित कमाण्ड टैंक संख्या-2 के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम के निर्मित क्षेत्र में द्वारका फेज-1 के स्वीकृत जल आपूर्ति योजना के अनुसार पेयजल की परिधिय वितरण मुख्य लाइनों की व्यवस्था, बिछाने और जोडने के कार्य के लिए रू0 1647 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 436

मद संख्या 441 दिल्ली जल बोर्ड की खाली भूमि का सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न संस्थाओं को अस्थाई आबंटन ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/सहायक आयुक्त(भू.एवं सम्पदा)/99/3203, दिनांक 14.10.99 में वर्णित दिल्ली जल बोर्ड की खाली पड़ी भूमि का सामाजिक व धार्मिक कार्यों में लगी विभिन्न संस्थाओं को अस्थाई रूप से आवंटन हेतु मार्ग निर्देशों पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है । परन्तु दरों में रू0 2,000 प्रति हजार वर्ग मीटर प्रतिदिन का संशोधन कर दिया गया । दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए दरें रू0 700 प्रति हजार वर्ग मीटर प्रतिदिन होगी ।

संकल्प संख्या 437

मद संख्या 442 बाहरी रिंग रोड़ के समीप बुराड़ी रोड़ ट्रांसपोर्ट अथारटी के सामने खाली भूमि पर पत्थर की चिनाई युक्त चारदीवारी का निर्माण ।

मुख्य अभियंता (सी)-3 के पत्र क्रमांक मु.अभि.(सी)-3/99/पी/04 दिनांक 25.10.99 में वर्णित बाहरी रिंग रोड़ के समीप ट्रांसपोर्ट अथारटी बुराड़ी रोड़ के सामने खाली पड़ी भूमि पर पत्थर की चिनाई युक्त चारदीवारी के निर्माण के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि रू0 49,24,676/- के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति तथा कार्य को मै0 जगदीश कंनस्ट्रक्शन क0 को उनके द्वारा उद्धृत 26.2% निम्न दर पर रू0 35,08,473.17 की कुल लागत पर आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 438

मद संख्या 443 मल निकासी व्यवस्था के विकास प्रभारों के भुगतान के लिए रियायती योजना ।

निदेशक (राजस्व) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/निदेशक(राजस्व)/पी/99/01 दिनांक 6.10.99 में वर्णित राजस्व प्राप्ति तथा पिछली बकाया राशि की वसूली के उद्देश्य से सीवरेज विकास प्रभार के लिए रियायती योजना के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने दिनांक 31.3.95 (पुरानी योजना) तक अधिसूचित कालोनियों के लिए 20 प्रतिशत की दर से समान छूट, निर्णय लिए जाने की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए दिए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी । प्रस्तावित योजना की शर्तों एवं निबंधनों को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी ।

संकल्प संख्या 439

मद संख्या 444 सीलमपुर फेज 3 तथा 4 पुर्नवास कॉलोनी शाहदरा में 450–500–700–900 मि0 मी0 व्यास की उभयनिष्ट सीवर की व्यवस्था और बिछाना ।

मुख्य अभियंता(सी)–4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./मु.अभि.(सी)4/पी/99/1 दिनांक–27.10.99 में वर्णित सीलमपुर फेज–3 और चार, पुर्नवास कालोनी, शाहदरा में 450–500–700–900 मि0 मी0 व्यास के सीवर लाइन की व्यवस्था/बिछाने के कार्य के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा कार्य को मै0 जगदीश कनस्ट्रक्शन कम्पनी को दिल्ली दर अनुसूची 1993 से 35.90% अधिक दर पर रू0 38,05,311.92 की कुल लागत पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी ।

संकल्प संख्या 440

मद संख्या 445 सीलमपुर फेज 3 तथा 4 पुर्नवास कॉलोनी शाहदरा में 250–300–350–400 मि0 मी0 व्यास की सीवर लाइन की व्यवस्था और बिछाना ।

मुख्य अभियंता(सी)–4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./मु.अभि.(सी)4/पी/99/2 दिनांक–27.10.99 में वर्णित सीलमपुर फेज–3 और चार, पुर्नवास कालोनी, शाहदरा में 250–300–350–400 मि0 मी0 व्यास के सीवर लाइन की व्यवस्था/बिछाने के कार्य के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा कार्य को श्री अनिल कुमार गुप्ता को दिल्ली दर अनुसूची 1993 से 25% अधिक दर पर रू0 67,30,798 की कुल लागत पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी ।

संकल्प संख्या 441

मद संख्या 446 अनाधिकृत/नियमित कालोनियों में पेयजल आपूर्ति और अवजल निकासी सेवाओं की व्यवस्था नीति में परिवर्तन तथा विकास प्रभार की दरों में संशोधन ।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/निदेशक(राजस्व)/99/02 दिनांक 27.10.99 में वर्णित अनधिकृत/नियमित कालोनियों में पेयजल आपूर्ति तथा मल निकासी सेवाओं की नितियों और विकास प्रभार की दरों में संशोधन के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड का मत था कि जिन उपभोक्ताओं ने जल कनैक्शन लिए हुए हैं, उनके लिए सीवर कनैक्शन लेना अनिवार्य किया जाए । ऐसे आंतरिक सीवर लाइनों के लिए विकास प्रभारों की वसूली जल प्रभार बिलों के माध्यम से की जाए । ऐसे विकास प्रभारों के भुगतान न किए जाने की स्थिति में बोर्ड ने पेयजल आपूर्ति काटने के लिए अधिकृत किया । प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यक परिवर्तनों को भी स्वीकृति प्रदान की गई । इसके साथ बोर्ड ने निर्देश दिया कि जिन कालोनियों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जा चुकी है, उनमें आंतरिक सीवर लाइनें बिछाने का कार्य शीघ्रता से किया जाए । अन्य कालोनियों में जहॉं पेयजल की लाइनें नहीं डाली गई हैं वहां पर जहॉं कहीं साध्यता हो पानी और सीवर की आन्तरिक लाइनें एक समय में ही डाली जाएं । उन कालोनियों में जहॉं पेयजल आपूर्ति व्यवस्था उपलब्ध है, परन्तु उपभोक्ता सीवरेज व्यवस्था के लिए विकास प्रभार की प्रथम किश्त का भुगतान करने के अनिच्छुक हैं, वहां ऐसी लाइनें बिछाने का कार्य आरम्भ किया जाए तथा विकास प्रभारों की वसूली बाद में जल प्रभार बिलों के माध्यम से 20 समान तीमाही किश्तों में की जाए । यह प्रक्रिया उन कालोनियों में भी लागू होगी जहां पानी और सीवर की लाइनें अभी डाली जानी हैं । बोर्ड ने संकल्प लिया कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुरोध किया जाए कि अनाधिकृत/नियमित कालोनियों में पेयजल तथा मल निकासी की ढ़ांचागत व्यवस्था के लिए रू0 25 करोड़ की आरम्भिक राशि से एक "रिवाल्विंग फण्ड" स्थापित किया जाए जिसकी पूर्ति बाद में विकास प्रभारों की राशि से की जा सकेगी । बोर्ड का यह भी मत था कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली से 1017 अनधिकृत कालोनियों में सीवर लाइनों की व्यवस्था के सम्बन्ध में नितिगत निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया जाए ।

संकल्प संख्या 442

मद संख्या 447 खेल गाँव, रिंग रोड़ चौराहे के ऊपर प्रस्तावित फ्लाई ओवर साऊथ एक्सटैंशन भाग 1 व 2 के बीच भूमिगत पैदल पारपथ, अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान पर अंडर पास के कारण 24" व्यासवाली सी. आई. पानी की लाइन को 600 एम.एम. व्यास की एम.एस. पानी की लाइन में बदलने का कार्य ।

मुख्य अभियंता (सी)–3 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/मु.अभि.(सी)–3/पी/99/05 दिनांक 29.10.99 में वर्णित प्रस्तावित रिंग रोड़, खेल गाँव (एन्ड्रयूज गंज) फ्लाई ओवर, साऊथ एक्सटैंशन भाग 1 तथा 2 पर "सब–वे" तथा अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान–पूर्वी किदवई नगर भूमिगत पार पथ के साथ 24" व्यास की पानी की सी.आई. मुख्य लाइन को 600 मि0 मी0 व्यास की पानी की एम.एस. मुख्य लाइन से बदलने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने इस कार्य को मै0 तिरूपति सीमेंट प्रौडक्टस को उनके द्वारा उदघृत दर निविदा राशि से 2.99% अधिक पर रू0 73,12,562.92 की कुल लागत पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी । बोर्ड ने बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की प्रत्याक्षा में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत किया।

संकल्प संख्या 443

मद संख्या 448 ऋषी नगर (रानी बाग) की सीवर व्यवस्था का सुधार ।

मुख्य अभियंता (सी)–2 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/मु.अभि.(सी)–2/पी/99/01 दिनांक 29.10.99 में वर्णित प्रस्ताव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वापिस ले लिया ।

संकल्प संख्या 444

मद संख्या 449 दिल्ली जल बोर्ड में उप–निदेशक राजस्व (जल)/सहायक आयुक्त(जल) के पद पर तदर्थ पदोन्नति ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/निदे.(प्रशा.एवं का.)/99/01 दिनांक 29.10.99 में वर्णित प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्थगित रखा जाता है । बोर्ड ने पदोन्नति की तिथि पर पुर्नविचार करने के लिए प्राधिकृत किया ।

संकल्प संख्या 445

मद संख्या 450 निदेशक (परियोजना) के अधीनस्थ माह मार्च–99 में रू0 1 लाख से रू0 25 लाख तक के कार्यो/आपूर्ति की अनुबन्ध सूची ।

मुख्य अभियंता (सी)–3 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/मु.अभि.(सी)–3/पी/99/03 दिनांक 22.10.99 में वर्णित अनुबन्धों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 446

मद संख्या 451 मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के अधीनस्थ माह मई–99 में रू0 1 लाख से 25 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची ।

मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/मु.अभि.(एस.डी.डब्ल्यू)/99/2141 दिनांक 14.10.99 में वर्णित अनुबन्धों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 447

मद संख्या 452 12 मिलियन गैलन केशोपुर अवजल संयंत्र का जीर्णोद्वार ।

मुख्य अभियंता (सी)–2 तथा मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/मु.अभि. (सी)–2/पी/99/03 दिनांक 1.11.99 में वर्णित केशोपुर में 12 मि.गै. दैनिक क्षमता के अवजल उपचार संयंत्र के नवीनीकरण के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा इस कार्य के लिए रू0 1239 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी ।

संकल्प संख्या 448

मद संख्या 453 20 मिलियन गैलन केशोपुर अवजल संयंत्र का जीर्णोद्वार ।

मुख्य अभियंता (सी)–2 तथा मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/मु.अभि.(सी)–2/पी/99/02 दिनांक 1.11.99 में वर्णित केशोपुर में 20 मिलियन गैलन दैनिक क्षमता के अवजल उपचार संयंत्र के संबर्धन/नवीनीकरण के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा इस कार्य के लिए रू0 1048.25 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की दी ।

अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा :–

1. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण संघ शासित दिल्ली में ट्यूबवैलों के नियमन के प्रस्तावों के कारण दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है, उस पर बोर्ड ने चर्चा की । केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण की ओर से श्री वी.एन. सिक्का का मत था कि भूजल श्रोतों के गिरते स्तर को ध्यान में रखते हुए ट्यूबवैलों के नियमन के उपाय करना आवश्यक है । विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् बोर्ड ने संकल्प लिया कि दिल्ली जल बोर्ड की चिन्ताएं केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के ध्यान में लाई जाएं ।

2. विभिन्न स्थानों पर दिल्ली जल बोर्ड की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमणों पर बोर्ड के सदस्यों ने चर्चा के दौरान अपनी चिन्ता प्रकट की । उनका विचार था कि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड की भूमि की स्थिति तैयार करने हेतु कदम उठाए जाए । विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात्यह आभास किया गया कि खाली पड़े भू–भाग, भू–भाग जिसमें तारों की बाड़ अथवा चार–दीवारी करने की आवश्यकता है, तथा ऐसी भूमि के सम्भावित उपयोग के विवरण सहित एक रिपोर्ट तैयार की जाए । मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सदस्यों को अवगत कराया कि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार इस सम्बन्ध में कार्य आरम्भ किया जा चुका है ।

3. चर्चा के दौरान बोर्ड ने निर्देश दिया कि द्वारका में कमांड टैंक संख्या 1 तथा कमाण्ड संख्या 2 के वितरण क्षेत्र में पड़ने वाले दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र का विवरण युक्त एक नक्शा संलग्न किया जाए ।

अध्यक्ष

सचिव